आषाढ़, कृष्ण पक्ष, अष्टमी, संवत् 2072 >> रांची मूल्य ₹3 पेज >> 14 वर्ष >> 2 अंक >>

खबर मन्त्र

गर संस्करण

सबकी बात सबके साथ

सुप्रभात
बुधवार
10 जून 2015

पर्यटन नीति को हरी झंडी

टूरिज्म में निवेश पर टैक्स की छूट

कैबिनेट के फैसले पारसनाथ, रजरप्पा के विकास के लिए अथॉरिटी
मलूटी मंदिर को संरक्षित करेगा आइटीआरएचडी

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नयी नीति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को पर्यटन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी। इस नीति के तहत सरकार रोड, बिजली, पानी, सुरक्षा और अन्य संसाधनों का विकास करेगी। कैबिनेट सचिव एसके सत्पथी ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने वालों को टैक्स में विशेष छूट दी जायेगी। पड़ोसी राज्यों के साथ धार्मिक-सांस्कृति सर्किट बना कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा। पीपीपी मोड पर पर्यटक स्थलों को विकसित करने की योजना बनायी जायेगी।

सरकार ने टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड गठित करेगी। जेटीडीसी को सशक्त एवं क्रियाशील बनाया जायेगा। जल्द ही टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेट एक्ट बनाया जायेगा। सरकार संथाल स्थित मलूटी मंदिर समूह को संरक्षित व विकसित करने के लिए ख्याति प्राप्त संस्था आइटीआरएचडी के साथ मनोनयन के आधार पर एमओयू करेगी। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए टूरिज्म सिक्यूरिटी फोर्स का गठन किया जायेगा। इसमें स्थानीय युवक रखे जायेंगे।

(पेज-2 भी देखें)

डाकबंगलों का होगा जीर्णोद्धार

कैबिनेट ने जैनियों के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ को विकसित करने के लिए अथॉरिटी का गठन करेगी। इसी प्रकार रजरप्पा आदि धार्मिक स्थलों में भी अथॉरिटी गठित होगी। विभिन्न विभागों के डाक बंगलों का जीर्णोद्धार कर उन्हें आम पर्यटकों को भी मुहैया कराया जायेगा। टैक्सी ड्राइवर, टूर एंड ट्रैवल, होटल, अन्य व्यवसायों के लिए जल्द ही कानून बनाया जायेगा। इसके लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जायेगा।

रांची में दो नये पुलिस पोस्ट

कैबिनेट ने रांची के नामकोम के खसीदाग और चान्हो के बलसोकरा में पुलिस आउट पोस्ट बनाने की मंजूरी प्रदान की है। एक अन्य फैसले के तहत सैप के जवानों-अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की गयी है। राज्य वित्त आयोग के लिए 15 पदों का सृजन किया गया है।

पेज एक का शेष

मलूटी मंदिर समूह को संरक्षित करेगी आइटीआरएचडी

रांची। राज्य मंत्रिपरिषद ने धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के मलूटी मंदिर समूह हो संरक्षित एवं विकसित करने के लिए ख्याति प्राप्त संस्था आइटीआरएचडी के साथ मनोनयन के आधार पर एमओयू करेगी। संस्था द्वारा मंदिर समूह के पुरातात्विक महत्व को अक्षुण्य रखा जायेगा। इसके अलावा मलूटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय किये जायेंगे।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

1. विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियन अब विशिष्ट इंडिया आदिम जनजाति बटालियन बनेगा। इसमें सिपाही से सभी पद आदिम जनजातियों के लिए रिजर्व होंगे। राज्य सरकार ने इस बटालियन के लिए 1107 पदों का सृजन किया है।
2. औद्योगिक सीएसआर पॉलिसी को मंजूरी। इसके तहत औद्योगिक घराना अपने सीएसआर फंड से आइटीआइ आदि का संचालन कर सकेंगे।
3. झारखंड खिलाड़ी नियमावली में संशोधन। इसके तहत अब कला-संस्कृति व खेल-कूद, मानव संसाधन, वन एवं पर्यावरण विभागों के वर्दीधारी नियुक्तियों में खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. मोटरयान निरीक्षक नियमावली में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गयी है। इसके तहत सामान्य, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आवश्यक छूट दी जायेगी।
5. कैबिनेट ने हजारीबाग के गोरिया-करमा में एक हजार एकड़ जमीन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को मुफ्त देने की मंजूरी प्रदान की है।
6. आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली नियमावली को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत उपस्थिति को वेतन बिल से लिंक किया जा रहा है।